निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा आर ए एस उपखंड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या:- 26/2021
दायरा दिनांक:- 15.04.2021
निर्णय दिनांक:- 31.03.2022

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति मीणा निवासी राजपाली तहसील बारां
2. बैजनाथ पुत्र चंदा लाल जाति मीणा निवासी राजपाली तहसील बारां
3. रामरतन पुत्र चंदालाल जाति मीणा निवासी राजपाली तहसील बारां
4. चतुर्भुज पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी सुंदलक तहसील बारां
5. मनोज कुमार दत्तक पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी सुंदलक तहसील बारां
6. केला बाई पत्नी स्वर्गीय श्री रामचंद्र जाति मीणा निवासी सुंदलक
7. गिर्राज प्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र जाति मीणा निवासी सुंदलक
8. ब्रजराज पुत्र स्वर्गीय श्री रामचंद्र जाति मीणा निवासी सुंदलक
9. मुकुट बिहारी पुत्र स्वर्गीय श्री रामचंद्र जाति मीणा निवासी सुंदलक
10. रचना बाई पुत्री स्वर्गीय श्री रामचंद्र पत्नी श्री राम पाल जाति मीणा निवासी सुंदलक हाल ग्राम चरडाना तहसील अटरू जिला बारां
11. हरिओम पुत्र स्वर्गीय श्री रामचंद्र जाति मीणा निवासी सुंदलक
12. ओमप्रकाश पुत्र हरिश्चंद्र जाति मीणा निवासी सुंदलक
13. संतोष भाई पत्नी राधेश्याम जाति मीणा निवासी सुंदलक तहसील बारां
14. घीसीबाई पुत्री धन्नालाल जाति मीणा निवासी काजी खेड़ा तहसील बारां
15. जमुना लाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी काजी खेड़ा तहसील बारां
16. बाबूलाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी काजी खेड़ा तहसील बारां

बनाम

1. रामलाल पुत्र माधोलाल जाति बेरवा निवासी फंसरिया तहसील किशनगंज जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बारां

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक:- 31.3. 2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:12 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आर टी विरुद्ध अप्रार्थी गण के न्यायालय में [illegible] पेश किया गया कि ग्राम सुंदल[illegible] रजपाली में वादी गण के खाते की आराजी [illegible] प्रथक प्रथक रखोगे में प्रथक प्रथक खसरा नं[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
बारां

की स्थित है इन सभी वादी गण के खेतों पर आने जाने का रास्ता प्रतिवादी क्रम एक की आराजी खसरा नंबर 238 रकवा 0.50 हेक्टेयर में से होकर जाता है जिसका उपयोग उपभोग सभी प्रातवादी गण अरसा पूर्व से निरंतर करते चले आ रहे हैं समस्त वादी गण के खेतों के आसपास रीको इंडस्ट्रीज एरिया लगा हुआ है उक्त रीको इंडस्ट्रीज एरिया में वादी गण की ज़मीन अधिग्रहण कर मुआवजा दिया जा चुका है परंतु वादी गण के अन्य खेत भी ग्राम सुंदलक व रजपाली में स्थित है जो रीको इंडस्ट्रीज एरिया की सीमा से लगवा है बादी क्रम एक बाबूलाल की आराजी खसरा नंबर दो रकबा 2.35 हेक्टेयर ग्राम रज पाली में स्थित है वादी क्रम 2 व 3 के शाम लाती खाते की आराजी खसरा नंबर 187/965 रकवा 1.12 हेक्टेयर का खसरा नंबर 189 रकवा 1.05 हेक्टेयर ग्राम सुंदलक में स्थित है। वादी क्रम 4 के खाते की आराजी खसरा नंबर 187 रकवा 1.16 हेक्टेयर ग्राम सुंदलक में स्थित है वादी क्रम 5 के खाते की आराजी खसरा नंबर 187/966 रकवा 0. 64 हेक्टेयर खसरा नंबर 191 रकबा 0.30 हेक्टेयर खसरा नंबर 192 रकबा 0.30 हेक्टेयर ग्राम सुंदलक में स्थित है वादी क्रम 6, 7,8,9, 10 व 11 के शामलाती खाते की आराजी खसरा नंबर 190 रकबा 1. 13 हेक्टेयर खसरा नंबर 195 रकबा 1.65 हेक्टेयर खसरा नंबर 199 रकवा 1.50 हेक्टेयर ग्राम सुंदलक में स्थित है वादी क्रम 12 के खाते की आराजी खसरा नंबर 188 रकवा 0.13 हेक्टेयर ग्राम सुंदलक में स्थित है वादी क्रम 13 के खाते की आराजी खसरा नंबर 15 रकवा 0.68 हेक्टेयर खसरा नंबर 19 रकबा 1.04 ग्राम रजपाली में स्थित है वादी क्रम 14, 15, 16 के खाते की आराजी खसरा नंबर 20 रकवा 0.17 हेक्टेयर खसरा नंबर 21 रकवा 2.18 हेक्टेयर खसरा नंबर 22 रकवा 0.07 हेक्टेयर ग्राम रजपाली में स्थित है। इन सभी आराजी पर आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 238 ग्राम सुंदलक जो खसरा नंबर 229 ग्राम सुदलक के सामने स्थित है मैं से पूर्वी दिशा से प्रारंभ होकर पश्चिमी दिशा में रीको इंडस्ट्रीज एरिया के सीसी रोड पर आकर मिलता है उक्त रास्ते के अलावा वादी गण का अपनी आराजी पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रतिवादी क्रम एक के खाते की आराजी ग्राम सुंदलक में खसरा नंबर 238 रकवा 0.50 हेक्टेयर में से खसरा नंबर 229 ग्राम सुंदलक के दक्षिणी और पूर्व से पश्चिम 24 फुट चौड़ा व 237. 6 फुट लंबा रास्ता उक्त सभी वादी गण के खेतों पर आने जाने के काम में आता है परंतु उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी की है तथा सभी वादी गण खसरा नंबर 238 की भूमि पूर्व से पश्चिम 24 फुट चौड़ी व 237.6 फुट लंबी रास्ते के रूप में दर्ज करवाने के वैधानिक अधिकारी हैं मौजूदा कानून के अनुसार सभी वादी गण उक्त भूमि का डीएलसी दर से दोगुना राशि प्रतिवादी क्रम एक को अदा करने हेतु तत्पर एवं तैयार है परंतु प्रतिवादी क्रमांक इससे सहमत नहीं है सभी वादी गण को अपने खेतों पर आने जाने का रास्ता खुलासा करना आवश्यक है इसलिए उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

प्रतिवादी क्रम एक के द्वारा उसके खाते की आराजी होने के कारण सभी वादी गण के खेतों पर आने जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है जिससे वादी गण अपने खेतों पर आने-जाने कृषि उपज एवं कृषि यंत्र नहीं ले जा पा रहे हैं उक्त रास्ता बंद करने का प्रतिवादी क्रम एक को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। रास्ते के अभाव में नियमित रूप से वादी गण वाद पत्र की मद ... वर्णित आराजी खसरा नंबरान के खेत की आराजी पर काश्त नहीं कर पा रहे हैं ... आने जाने के लिए वादी गण के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है मौजूदा कानून ... आराजी में होकर कोई रास्ता चाहता है तो उसे डीएलसी दर से राशि अदा कर ... रूप से रास्ता प्राप्त कर सकता है वादी गण ने प्रतिवादी से कई बार इस संबंध में निवेदन ...या परंतु प्रतिवादी क्रम एक वादी गण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

रास्ता देने में आनाकानी कर रहा है तथा रास्ता नहीं देना चाहता जबकि वादी गण रास्ते की आराजी जो वह प्राप्त करना चाहते हैं उसकी डीएलसी दर से दोगुना राशि अदा करने हेतु तैयार हैं पटवारी वह पुलिस द्वारा समझाइश करने के उपरांत भी प्रतिवादी गण रास्ता देने हेतु स्पष्ट मना करने के कारण उक्त बाद कारण के कारण बमुकाम सुंदलक व रजपाली मैं दिनांक 26.3 .2021 को पैदा हुआ तथा वर्तमान में भी हो रहा है वादी गण द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिए नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी क्रम एक द्वारा जवाब पेश किया गया प्रतिवादी क्रम एक द्वारा अपने जवाब में बताया कि वादी करण के द्वारा रास्ते के उपयोग हेतु जो भूभाग बताया गया है वह कम है वास्तव में वादी गण के खेतों पर आने-जाने के रास्ते के रूप में उपयोग में आने वाली भूमि आराजी खसरा नंबर 238 रकवा 0.08 हेक्टेयर के लगभग है जिसकी डीएलसी दर के अनुसार 356000/- बनता है जो प्रतिवादी क्रम एक प्राप्त कर चुका है तथा उक्त खसरा नंबर 238 रखवा 0.50 हेक्टेयर में से 0.08 हेक्टेयर भूमि ग्राम सुंदलक जो खसरा नंबर 229 ग्राम सुंदलक से लगवा पूर्वी दिशा से प्रारंभ होकर पश्चिमी दिशा में रीको इंडस्ट्रीज एरिया में सीसी रोड से वादी गण के खेतों पर आने जाने हेतु उक्त भूमि को गैर मुमकिन सिवायचक रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने में प्रतिवादी क्रम एक को कोई आपत्ति नहीं है। वादी द्वारा अपने बाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम रजपाली संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 54 बाबूलाल पुत्र लक्ष्मी नारायण की खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम रजपाली संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 102 नकल जमाबंदी ग्राम रजपाली संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 36 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम रजपाली नकल नक्शा ट्रेस ग्राम सुंदलक नकल जमाबंदी ग्राम सुंदलक संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 251 नकल जमाबंदी ग्राम सुंदलक संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 51 नकल जमाबंदी ग्राम सुंदलक संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 192 नकल जमाबंदी ग्राम सुंदलक संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 202 नकल जमाबंदी ग्राम सुंदलक संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 13 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित अंखियों को दोहराया गया वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सुंदलक में स्थित है। वादी गण द्वारा अपने खाते की आराजी पर जाने के लिए प्रतिवादी क्रम एक रामलाल की आराजी खसरा नंबर 238 ग्राम सुंदलक जो खसरा नंबर 229 के सामने स्थित है मैं से पूर्व दिशा से प्रारंभ होकर पश्चिमी दिशा में रीको इंडस्ट्रीज एरिया के सीसी रोड पर आकर मिलता है उक्त रास्ते के अलावा वादी गण का अपनी आराजी पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है वादी गण प्रतिवादी क्रम एक के खाते की आराजी में होकर 24 फीट चौड़ा और 237. 6 फीट लंबी रास्ते के रूप में राज्य सरकार में रास्ता अंकित करवाना चाहते हैं जिसके बदले में वादी गण द्वारा प्रतिवादी क्रम एक को वर्तमान डीएलसी दर से दोगना राशि □356000 अदा की जा चुकी है इस संबंध में प्रतिवादी क्रम एक द्वारा इकवाली जवाब पेश कर बताया कि खसरा नंबर 238 मैं होकर रास्ते में ली जाने वाली भूमि के बदले में वादी गण द्वारा □356000 मुझ प्रतिवादी क्रम एक को अदा कर दिए हैं। खसरा नंबर 238 रकवा 0.50 हेक्टेयर भूमि में से 0. 0.8 हेक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में दर्ज करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं [illegible] गण का बाद स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नंबर 238 में 24 फुट चौड़ा 237 [illegible] रास्ता राजस्व सरकार में दर्ज किया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड व तहसीलदार बारां से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तहसीलदार बारां द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में बताया कि वादी गण के खाते की आराजी पर आने जाने के लिए वादी गण रीको इंडस्ट्रीज एरिया की सीमा के अंदर बने हुए पक्के रोड से पश्चिमी तरफ से ग्राम सड़क के काकड़ पर स्थित खसरा नंबर 238 की भूमि में से कृषि कार्य हेतु अपने खेतों पर आते जाते रहे हैं वर्तमान में खसरा नंबर 238 प्रतिवादी क्रम एक रामनाथ पुत्र माधोलाल जाति बेरवा के नाम दर्ज है मौके पर उक्त भूमि रीको इंडस्ट्रीज एरिया के मध्य में स्थित है तथा वादी गण द्वारा रास्ते हेतु चाही गई भूमि वर्तमान में खाली है उक्त जगह के रीको इंडस्ट्रीज द्वारा अन्य व्यक्तियों को प्लाट आवंटन करने के कारण रास्ते से संबंधित समस्या हुई है वादी गणों को खसरा नंबर 238 में से नियमानुसार रास्ता दिए जाने पर खसरा नंबर 238 की लंबाई +चौड़ाई =100*8 =800 वर्ग मीटर अर्थात 0.08 हेक्टेयर भूमि की डीएलसी दर से नियमाअनुसार राशि जमा कराए जाने पर रास्ता दिया जा सकता है। प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार बारां की रिपोर्ट के अनुसार यह साबित होता है कि वादी गण के खाते की आराजी पर आने जाने का रास्ता प्रतिवादी क्रम एक की भूमि खसरा नंबर 238 में होकर है प्रतिवादी क्रम एक द्वारा अपने खाते की आराजी खसरा नंबर 238 में होकर रास्ता देने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना इकवाली जवाब प्रस्तुत कर बताया है तथा रास्ते में दी जाने वाली भूमि के बदले में प्रतिवादी क्रम एक द्वारा वादी गण से 356000 /- प्राप्त किया जाना प्रस्तुत जवाब से साबित होता है इससे यह साबित होता है कि वादी गण द्वारा रास्ते में ली जाने वाली भूमि के बदले में प्रतिवादी क्रमांक को डीएलसी दर का 2 गुना राशि का भुगतान किया जा चुका है अतः वादी गण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी गण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी ग्राम सुंदलक के खसरा नंबर 238 रकबा 0.50 हेक्टेयर में से खसरा नंबर 229 वाके ग्राम सुंदलक के दक्षिणी और पूरब से पश्चिम 100 x 8 मीटर कुल 0.08 हे० को गै०मु० सिवायचक रास्ते के रूप में कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल बरामद करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिए जाते हैं तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस
उपखंड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner